"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 फरवरी 2017—फाल्गुन 5, शक 1938

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2017

क्रमांक ई 1-01/2017/1-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री आलोक अवस्थी, भा.प्र.से. (2002), प्रबंध संचालक, छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

खेल एवं युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 जनवरी 2017

क्रमांक/एफ/10–3/खे.यु.क./09.– खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा समसंख्यक क्रमांक, दिनांक 19 सितम्बर 2003 को जारी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों/निर्णायकों को पुरस्कार नियम 2004 में समसंख्यक क्रमांक से दिनांक 18 जुलाई 2006, 06 अगस्त 2007, 28 अगस्त 2008 एवं 19/01/2017 से संशोधन एवं परिवर्धन किया गया है। उक्त नियम में एतद् द्वारा निम्नानुसार संशोधन एवं परिवर्धन किया जाता है।

संशोधन एवं परिवर्धन

उक्त नियम में :–

1. नियम 1 में "उपनियम 1.6 मुख्यमंत्री ट्रॉफी" जोड़ा जाए।

2. नियम 2 के उपनियम 2.8 में पूर्व से उल्लेखित विवरण के आगे "या भारतीय खेल प्राधिकर, विदेश मंत्रालय/बी.सी.सी.आई. द्वारा भारतीय दल में भाग लेने हेतु अनुमति प्रदान की गई है या तत्संबंध में भारत सरकार द्वारा कोई निर्देश जारी किया गया है" जोड़ा जाए।

3. नियम 2 का उपनियम 2.17 विलोपित।

4. नियम 3 का उपनियम 3.6 विलोपित।

5. नियम 4 में उपनियम 4.6 निम्नानुसार जोड़ा जाए –

4.6 **मुख्यमंत्री ट्रॉफी –**

राज्य के सीनियर एवं जूनियर वर्ग के दलीय खेलों के खिलाड़ियों को जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन कर पदक प्राप्त किया हो उन्हें खेल के क्षेत्र में राज्य को दी गई उत्कृष्ट खेल सेवा के लिए प्रोत्साहित करना ताकि वे और उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राज्य का गौरव बढ़ाएं एवं राज्य के अन्य खिलाड़ी उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सकें।

6. नियम 5 में उल्लेखित उपनियमों को निम्नांकित से प्रतिस्थापित किया जाए –

5.1 **शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार :–**

(अ) प्रत्येक वर्ष अधिकतम सात पुरस्कार प्रदान किए जा सकेंगे, जिसमें पैरालिंपिक खेलों के लिए एक पुरस्कार होगा तथा शेष पुरस्कारों में से कम से कम दो तिहाई अर्थात 04 पुरस्कार ओलंपिक में सम्मिलित खेल विधाओं से संबंधित खेल होगा, शेष दो पुरस्कार प्रावीण्यता के आधार पर ओलंपिक या नॉन ओलंपिक खेल विधाओं के लिए होंगे।

(ब) एक वर्ष में एक खेल में केवल एक पुरस्कार ही प्रदान किया जाएगा।

(स) पुरस्कार में प्रत्येक खिलाड़ी को राशि रूपये तीन लाख, मानपत्र, अलंकरण फलक, ब्लेजर एवं टाई से अलंकृत किया जाएगा।

5.2 **शहीद कौशल यादव पुरस्कार :–**

(अ) प्रत्येक वर्ष अधिकतम सात पुरस्कार प्रदान किए जा सकेंगे, जिसमें पैरालिंपिक खेलों के लिए एक पुरस्कार होगा तथा शेष पुरस्कारों में से कम से कम दो तिहाई अर्थात 04 पुरस्कार ओलंपिक में सम्मिलित खेल विधाओं से संबंधित खेलों होगा, शेष दो पुरस्कार प्रावीण्यता के आधार पर ओलंपिक या नॉन ओलंपिक खेल विधाओं के लिए होंगे।

(ब) एक वर्ष में एक खेल में केवल एक पुरस्कार ही प्रदान किया जाएगा।

(स) पुरस्कार में प्रत्येक खिलाड़ी को राशि रूपये एक लाख पचास हजार, मानपत्र, अलंकरण फलक, ब्लेजर एवं टाई से अलंकृत किया जाएगा।

5.3 शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार एवं शहीद कौशल यादव पुरस्कार, व्यक्तिगत खेल विधा के मामले में व्यक्तिगत खिलाड़ी को तथा दलीय खेल के मामले में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले एक खिलाड़ी को दिया जाएगा।

5.4 **वीर हनुमान सिंह पुरस्कार :–**

(अ) प्रत्येक वर्ष पात्रता रखने वाले दो प्रशिक्षक एवं दो निर्णायकों को प्रदान किया जा सकेगा। जिसमें प्रत्येक वर्ग के (प्रशिक्षक/निर्णायक) के लिए एक पुरस्कार पुरूष एवं एक पुरस्कार महिला हेतु होगा।

(ब) पुरस्कार ग्राही को एक लाख पचास हजार नगद, मानपत्र, अलंकरण फलक, ब्लेजर एवं टाई से अलंकृत किया जाएगा।

5.5 **शहीद विनोद चौबे पुरस्कार :–**

(अ) प्रत्येक वर्ष अधिकतम पाँच पुरस्कार प्रदान किए जा सकेंगे।

(ब) पुरस्कार में प्रत्येक ग्राही को राशि रूपये पच्चीस हजार, मानपत्र, अलंकरण फलक, ब्लेजर एवं टाई से अलंकृत किया जाएगा।

5.6 **शहीद पंकज विक्रम सम्मान :–**

(अ) विचाराधीन पुरस्कार वर्ष में जिन खेलों के खिलाड़ियों को शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। उन खेलों को छोड़कर पुरस्कार के लिए विचार क्षेत्र में आने वाले अन्य सभी खेलों में पुरस्कार प्रदान किए जा सकेंगे।

(ब) एक वर्ष में एक खेल में दो पुरस्कार दिए जा सकेंगे, जिनमें से एक पुरूष वर्ग एवं एक महिला वर्ग के लिए होगा।

(स) पुरस्कार में प्रत्येक खिलाड़ी को राशि रूपये पच्चीस हजार, मानपत्र, अलंकरण फलक, ब्लेजर एवं टाई से अलंकृत किया जाएगा।

5.7 **मुख्यमंत्री ट्रॉफी :–**

(अ) प्रत्येक वर्ष दो पुरस्कार प्रदान किए जा सकेंगे, जिसमें एक सीनियर वर्ग तथा एक जूनियर वर्ग के लिए होगा।

(ब) ऐसे दलीय खेल/दलीय खेल विधा जिनकी सदस्य संख्या 04 है, उन्हें सीनियर वर्ग के दल के लिए रूपये दो लाख तथा जूनियर वर्ग के लिए रूपये एक लाख का पुरस्कार दिया जाएगा तथा जिनकी सदस्य संख्या चार से अधिक है, उन्हें सीनियर वर्ग के दल के लिए रूपये पाँच लाख एवं जूनियर वर्ग के दल के लिए रूपये तीन लाख प्रदान किए जाएंगे।

(स) पुरस्कार में प्रत्येक खिलाड़ी को मानपत्र, अलंकरण फलक, ब्लेजर एवं टाई से अलंकृत किया जाएगा।

5.8 उपरोक्त सभी पुरस्कारों के पुरस्कार ग्राहियों को उनके निवास स्थल से पुरस्कार अलंकरण समारोह स्थल तक आने/जाने, दोनों ओर का न्यूनतम दूरी का रेलमार्ग/सड़क मार्ग का वास्तविक किराया तथा समारोह में भाग लेने हेतु की की गई यात्रा के लिए रूपये एक सौ प्रतिदिन के मान से दैनिक भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।

5.9 पुरस्कार ग्राहियों के लिए आवास योजना एवं परिवहन की व्यवस्था की जाएगी।

7. नियम 6 के उपनियम 6.1 एवं 6.2 को निम्नांकित से प्रतिस्थापित किया जाए –

6.1 **शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार**

6.1 (अ) खिलाड़ी ने विगत पाँच वर्षों में निम्नलिखित उपलब्धियाँ प्राप्त की हो.

व्याख्या – विगत पाँच वर्षों की गणना पुरस्कार वर्ष को सम्मिलित करते हुए की जाएगी।

1. सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेलों में कम से कम एक बार स्वर्ण पदक या रजत पदक या कांस्य पदक प्राप्त किया हो.

या

दलीय खेलों में सीनियर वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो.

व्याख्या – व्यक्तिगत खेल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेल में प्रथम या द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करना अनिवार्य होगा.

2. उसने पुरस्कार वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य का सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेल में प्रतिनिधित्व किया हो.

3. उसने पुरस्कार वर्ष के अतिरिक्त अन्य विचारणीय वर्षों में कम से कम दो बार राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो. इस प्रकार उसने कम से कम तीन बार पृथक–पृथक वर्षों में उपरोक्त राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से भाग लिया हो.

(ब) अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार प्राप्त करने हेतु अनुशंसा नहीं की जा सकेगी।

6.2 **शहीद कौशल यादव पुरस्कार** –

6.2 (अ) खिलाड़ी ने विगत तीन वर्षों में निम्नलिखित उपलब्धियाँ प्राप्त की हो.

व्याख्या – विगत तीन वर्षों की गणना पुरस्कार वर्ष को सम्मिलित करते हुए की जाएगी. दलीय खेलों के संदर्भ में दल की उपलब्धियाँ संबंधित खिलाड़ी की उपलब्धियाँ मानी जाएंगी.

1. जूनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में कम से कम एक बार स्वर्ण पदक या रजत पदक या कांस्य पदक प्राप्त किया हो.

या

दलीय खेलों में जूनियर वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो.

व्याख्या– व्यक्तिगत खेल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को जूनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में प्रथम या द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करना अनिवार्य होगा.

2. उसने पुरस्कार वर्ष में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप (जूनियर या सीनियर वर्ग) या राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो.

(ब) अर्जुन पुरस्कार एवं शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को शहीद कौशल यादव पुरस्कार प्राप्त करने हेतु अनुशंसा नहीं की जा सकेगी।

8. नियम 6 में उपनियम 6.6 (स) के वाक्यांश –

"विगत पाँच वर्षों में लगातार सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में छत्तीसगढ़ की ओर से भाग लिया हो"

को निम्नांकित वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाए.

"विगत पाँच वर्षों में चार बार सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में छत्तीसगढ़ की ओर से भाग लिया हो" .

9. नियम 6.6 (द) विलोपित

10. नियम 6 में उपनियम 6.7 निम्नानुसार जोड़ा जाए –

6.7 मुख्यमंत्री ट्रॉफी

6.7 (अ) यह पुरस्कार दलीय खेलों के खिलाड़ी, प्रशिक्षक एवं प्रबंधक को एक दल के रूप में प्राप्त होगा।

(ब) दलीय खेल के अंतर्गत व्यक्तिगत खेलों की वह विधा भी सम्मिलित होगी जिसमें चार खिलाड़ियों को सम्मिलित करते हुए दलीय विधा की प्रतियोगिता आयोजित होती है।

(स) दल की, पुरस्कार वर्ष की उपलब्धि को पात्रता निर्धारण हेतु विचार क्षेत्र में लिया जाएगा। उस दल को विचार क्षेत्र में दिया जाएगा जिस दल ने पुरस्कार वर्ष में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक या रजत पदक या कांस्य पदक प्राप्त किया हो।

(द) दल की, पुरस्कार वर्ष की उपलब्धि के आधार पर यदि दो या दो से अधिक खेलों के दलों की समान उपलब्धि हो तो ऐसी स्थिति में प्रावीण्य क्रम निर्धारण हेतु संबंधित खेल में समान आयु वर्ग (सीनियर या जूनियर) में दल की विगत तीन वर्ष की उपलब्धियों का आंकलन किया जाकर निर्णय किया जा सकेगा। लेकिन पुरस्कार की पात्रता पुरस्कार वर्ष में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले दल के सदस्यों को ही होगी।

(इ) यदि पुरस्कार वर्ष में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप एवं राष्ट्रीय खेल दोनों आयोजन हुए हों तथा दोनों आयोजनों में दल ने पदक प्राप्त किए हों तो, दोनों आयोजनो में से किसी एक आयोजन के पदक के आधार पर पुरस्कार का निर्णय किया जाएगा, आवेदक संघ द्वारा जिस आयोजन के दल का आवेदन पत्र में उल्लेख किया जाएगा उसी दल के सदस्य पुरस्कार ग्राही के रूप में विचार किए जाएंगे।

(फ) एक दल को पुरस्कार मिलने के पश्चात् संबंधित दल (समान खेल, समान आयु वर्ग, समान वर्ग–पुरूष या महिला) को आगामी दो वर्ष पश्चात् इस पुरस्कार के लिए विचार क्षेत्र में लिया जाएगा। लेकिन किसी अन्य खेल का संबंधित वर्ग का दल विचार हेतु उपलब्ध न हो या पात्र न पाया गया जाए तो ऐसी स्थिति में उस दल को जिस विगत दो वर्षों में पुरस्कार मिला है, इस पुरस्कार हेतु विचार क्षेत्र में लिया जा सकेगा।

(ज) पुरस्कार की राशि दल के सदस्यों (खिलाड़ी, प्रबंधक, प्रशिक्षक) को सम्मिलित रूप से स्वीकृत होगी तथा दल के सदस्यों को समान रूप से विभाजित कर प्राप्त होगी।

(ह) इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले खिलाड़ी/प्रशिक्षक इन नियमों में उल्लेखित या अन्य पुरस्कारों को प्राप्त करने हेतु भी पात्र होंगे।

11. नियम 7 में उल्लेखित उपनियमों को निम्नांकित से प्रतिस्थापित किया जाए :–

7.1 पुरस्कारों के निर्णयन में प्रावीण्य क्रम निर्धारण हेतु निम्नांकित अंक तालिका होगी। इस अंक तालिका के आधार पर खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों की उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाएगा तथा उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले की प्रावीण्य क्रम में उच्च स्थान दिया जाएगा।

7.2 शहीद राजीव पाण्डेय, शहीद कौशल यादव एवं वीर हनुमान सिंह (प्रशिक्षक) हेतु अंक तालिका :–

क्र.	अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय प्रति.	स्वर्ण पदक	रजत पदक	कांस्य पदक	भागीदारी
01	02	03	04	05	06
1	ओलम्पिक, वर्ल्डकप, वर्ल्ड चैम्पियनशीप, ग्रेन्डस्लेम, ग्रेडमास्टर	200	175	150	100
2	एशियाड/एशियन चैम्पियनशीप/एशिया स्तर खेल/राष्ट्रमण्डलीय खेल/सेफ खेल/एफ्रो एशियन खेल/साउथ एशिया/अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता (वन डे, टी–20, टेस्ट मैच)	75	60	50	35
3	अधिकृत राष्ट्रीय चैम्पियनशीप/राष्ट्रीय खेल (सीनियर/जूनियर) 01. जिस वर्ष राष्ट्रीय चैम्पियनशीप सीनियर एवं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी उस वर्ष दोनों में से श्रेष्ठ उपलब्धि का आंकलन किया जायेगा। 02. एक वित्तीय वर्ष में सिर्फ एक सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि का आंकलन किया जायेगा।	30	15	03	01

7.3 शहीद विनोद चौबे सम्मान हेतु अंक तालिका :–

क्र.	अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय प्रति.	स्वर्ण पदक	रजत पदक	कांस्य पदक	भागीदारी
01	02	03	04	05	06
1	ओलम्पिक, वर्ल्डकप, वर्ल्ड चैम्पियनशीप, ग्रेन्डस्लेम, ग्रेडमास्टर	200	175	150	100
2	एशियाड/एशियन चैम्पियनशीप/एशिया स्तर खेल/राष्ट्रमण्डलीय खेल/सेफ खेल/एफ्रो एशियन खेल/साउथ एशिया/अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता (वन डे, टी–20, टेस्ट मैच)	75	60	50	35
3	अधिकृम राष्ट्रीय चैमपियनशीप/राष्ट्रीय खेल (सीनियर/जूनियर)	30	12	03	01
4	संयुक्त विश्वविद्यालय स्तर	25	10	03	01
5	विश्वविद्यालय स्तर	20	08	02	01
6	स्कूल नेशनल	15	06	02	01
7	मास्टर (वेटर्न्स) चैम्पियनशीप	10	04	02	01

7.4 (अ) जिस वर्ष दोनों प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी उस वर्ष दोनों में से श्रेष्ठ उपलब्धि का आंकलन किया जायेगा।

(ब) एक वित्तीय वर्ष में सिर्फ एक सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि का आंकलन किया जायेगा।

12. नियम 8 के उपनियम 8.3 को निम्नांकित से प्रतिस्थापित किया जाए :-

8.3 यदि किसी खेल विशेष में शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार, शहीद कौशल यादव पुरस्कार, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार, शहीद पंकज विक्रम सम्मान, किसी खिलाड़ी/प्रशिक्षक/निर्णायक को प्राप्त हो गया है तो उसी खेल में दुबारा वही पुरस्कार संबंधित को नहीं दिया जाएगा। तथापि दूसरे खेल के संदर्भ में वह पुरस्कार हेतु विचार क्षेत्र में रहेगा। शहीद विनोद चौबे सम्मान, एक हितग्राही को उसके जीवनकाल में केवल एक बार दिया जायेगा।

13. नियम 10 के उपनियम 10.1 को निम्नांकित से प्रतिस्थापित किया जाए :-

10.1 खेल संघ, प्रत्येक पुरस्कार वर्ष के लिए निर्धारित प्रारूप में अनुशंसाएँ पुरस्कार वर्ष के आगामी वित्तीय वर्ष के 30 अप्रेल तक संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण में प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित प्रारूप परिशिष्ठ "अ" व "स" में संलग्न है। अनुशंसा प्राप्त करने की अंतिम तिथि में परिस्थिति परिवर्तन किया जा सकता है।

14. नियम 11 में उपनियम 11.5 निम्नानुसार जोड़ा जाए :-

11.5 इन पुरस्कारों के ग्राहियों का अंतिम निर्णय करने हेतु विभाग/संचालनालय/दावा आपत्ति ऐसी विधि से जैसा कि विभाग उचित समझे, आमंत्रित कर सकेगा।

15. नियम 13 के उपनियम 13.3 को निम्नांकित से प्रतिस्थापित किया जाए :-

13.3 इन पुरस्कारों के लिए वही खिलाड़ी, प्रशिक्षक, निर्णायक पात्र माने जाएंगे जो कंडिका 6 में उल्लेखित पात्रता को पूर्ण करते हुए निम्नांकित शर्तों की पूर्ति करते हों :-

अ छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी

या

ब उपलब्धि वर्ष एवं पुरस्कार वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य की किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में नियमित अध्ययनरत है

या

स उपलब्धि वर्ष एवं पुरस्कार वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य की शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम में निरंतर कार्यरत है।

या

द छ.ग. राज्य के वे खिलाड़ी भी पुरस्कार के लिए पात्र होगें जो राज्य के मूल निवासी हो तथा किसी अन्य इकाई का प्रतिनिधित्व करते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जैसे ओलम्पिक, एशियाड, कामनवेल्थ गेम्स में भाग लिया हो, या ऐसा खिलाड़ी जिसने लगातार पॉच वर्षों से राज्य में निवास करते हुए छ.ग. की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए उपलब्धि प्राप्त की हो।

16. परिशिष्ट "अ, ब, स व द" संशोधित कर पृथक से संलग्न है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, सचिव.

(खेल संघो द्वारा अनुशंसा करने का प्रपत्र)

परिशिष्ट – अ

क्रमांक .... दिनांक ....

प्रति,

संचालक,
खेल एवं युवा कल्याण
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषयः– खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, निर्णायकों को पुरस्कार एवं मुख्यमंत्री ट्राफी हेतु अनुशंसा।

महोदय,

पुरस्कार वर्ष .... के लिए खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं निर्णायकों हेतु शासन द्वारा घोषित शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, शहीद कौशल यादव पुरस्कार, शहीद विनोद चौबे सम्मान शहीद पंकज विकम सम्मान, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार एवं मुख्यमंत्री ट्राफी हेतु अनुशंसाएं प्रस्तुत हैं।

(1) खेल का नाम ....

(2) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार हेतु अनुशंसाएं वरीयता कम में नाम एवं पूर्ण पता
1. ....
....
2. ....
....
3. ....
....

(3) शहीद कौशल यादव पुरस्कार हेतु अनुशंसाएं वरीयता कम में नाम एवं पूर्ण पता
1. ....
....
2. ....
....
3. ....
....

(4) वीर हनुमान सिंह पुरस्कार हेतु अनुशंसाएं प्रशिक्षक के लिए नाम एवं पूर्ण पता
1. ....
....
2. ....
....

निर्णायक के लिए नाम एवं पूर्ण पता
1. ....
....
2. ....
....

(5) शहीद विनोद चौबे सम्मान के लिए नाम एवं पूर्ण पता
1. ....
....
2. ....
....

(6) शहीद पंकज विकम सम्मान के लिए नाम एवं पूर्ण पता
1. ....
....
2. ....
....

(7) मुख्यमंत्री ट्राफी के लिए अनुशंसा –

दल का नाम .... जूनियर/सीनियर वर्ग
प्रशिक्षक/मैनेजर, खिलाड़ियों की संख्या ....

(8) निम्नांकित पृथक से संलग्न करें

(अ) खिलाड़ियों के पंजीयन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र, प्रमाण–पत्रों सहित (आवेदन पत्र का प्रारूप नियम के परिशिष्ट ब में देखें)

(ब) वीर हनुमान सिंह पुरस्कार के लिए प्रशिक्षकों/निर्णायकों के पंजीयन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र, प्रमाण–पत्रों सहित (आवेदन पत्र का प्रारूप नियम के परिशिष्ट द में देखें)

(स) शहीद विनोद चौबे सम्मान के पंजीयन हेतु परिशिष्ट स

(द) मुख्यमंत्री ट्राफी हेतु पंजीयन का निधारीत प्रारूप परिशिष्ट इ में देखें

घोषणा–पत्र

हम घोषणा करते हैं कि:–

(1) इस अनुशंसा पत्र के संलग्न प्रस्तुत खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं निर्णायकों के पंजीयन ज्ञापन की जानकारियां सत्यापित कर दी गई हैं तथा सत्य हैं।

(2) खिलाड़ी/प्रशिक्षक/निर्णायक का आज दिनांक तक संबंधित राष्ट्रीय प्रतियोगिता से निष्कासित नहीं किया गया है।

(3) जिनके नाम की अनुशंसा की गई है, उन्हें उपरोक्त पुरस्कार पूर्व में प्राप्त नहीं हुआ है।

(4) जिन खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों/निर्णायक के नाम के अनुशंसा की गई है, उन्होंने इस पुरस्कार हेतु निर्धारित नियमों का अध्ययन कर लिया है एवं इस सब नियमों को स्वीकार कर लिया है।

(5) उपरोक्त विवरण पूर्णतः सत्य एवं प्रमाणित है। उपरोक्त जानकारी असत्य पाए जाने की दिशा में आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जाए तथा असत्य जानकारी देने के लिए मैं/हम विधि के अनुसार उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी/रहेंगे।

हस्ताक्षर

सचिव,
राज्य खेल संघ
पद मुद्रा

(प्रत्येक खिलाड़ी प्रशिक्षक/निर्णायक के लिए पृथक–पृथक भरा जावे)

परिशिष्ट – ब

कमांक .... दिनांक ....

प्रति,

संचालक,
खेल एवं युवा कल्याण
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषयः– शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, शहीद कौशल यादव पुरस्कार एवं शहीद पंकज विक्रम सम्मान के लिए खिलाड़ियों का पंजीयन ज्ञापन।

स्व अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

(1) खेल का नाम ....

(2) खिलाड़ी का नाम ....

(3) पिता/पति का नाम ....

(4) पूर्ण डाक पता/मो0नं0/ई–मेल ....

....

(5) जन्म तिथि
अंकों में– तिथि .... माह .... वर्ष ....

शब्दों में ....
(कक्षा आठवीं/दसवीं बोर्ड की अंकसूची संलग्न करें)

(6) शैक्षणिक योग्यता
(अ) अधिकतम शैक्षणिक योग्यता ....

(ब) कक्षा पहली में प्रवेश लेने का वर्ष एवं विद्यालय का नाम/पता ....

(स) कक्षा पांचवी उत्तीर्ण करने का वर्ष एवं विद्यालय का नाम/पता ....

(द) कक्षा आठवीं उत्तीर्ण करने का वर्ष एवं विद्यालय का नाम/पता ....

(इ) कक्षा दसवीं उत्तीर्ण करने का वर्ष एवं विद्यालय का नाम/पता ....

नोटः– उपरोक्त कण्डिका ब से स तक की जानकारी शहीद कौशल यादव पुरस्कार के लिए पंजीयन से संबंधित है। यदि शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार हेतु खिलाड़ी द्वारा सबजूनियर/जूनियर वर्ग की उपलब्धियां भी उल्लेखित की जा रही हो तो शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार हेतु भी उपरोक्त जानकारी दी जाए अन्यथा मात्र शहीद कौशल यादव पुरस्कार हेतु उक्त कण्डिका में जानकारी प्रस्तुत करें।

(7) खिलाड़ी/खिलाड़ियों के पालक (पिता/माता) यदि शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक उपकम के कर्मचारी हों तो जानकारी दें–

कार्यालय का नाम पता ....

पद ....

खिलाड़ी से संबंध ....

(8) पुरस्कार वर्ष – ....
(जिस वर्ष के पुरस्कार के लिए पंजीयन कराया जा रहा हो)

(9) पुरस्कार वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य का राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेल में प्रतिनिधित्व का विवरण

प्रतियोगिता का नाम ....
आयोजन तिथि ....
आयोजन स्थल ....
वर्ग सीनियर/जूनियर
प्राप्त स्थान ....

(10) पुरस्कार वर्ग को सम्मिलित करते हुये विगत पांच वर्षों /तीन वर्ष की राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय खेल उपलब्धियों का विवरण

क्र0	वर्ष	प्रतियोगिता का नाम	आयोजन तिथि एवं स्थान	प्राप्त स्थान
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

नोट :– 1. कॉलम 2 वर्ष में वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें।(जैसा 2004–05)
2. मात्र राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय उपलब्धियों का ही उल्लेख करें।
3. शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार अधिकतम पांच वर्ष एवं शहीद कौशल यादव पुरस्कार हेतु अधिकतम तीन वर्ष की उपलब्धियों का उल्लेख करें।

(11) छत्तीसगढ़ में विगत पांच वर्षों से निवास का स्थान एवं अवधि

क्र0	वर्ष	निवास स्थान एवं पूर्ण पता	अवधि
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

(12) किसी अन्य राज्य या स्त्रोत से खेल पुरस्कार मिला हो तो उसकी जानकारी ....

(13) आवेदक के ब्लेजर का नाप (इंच में) 1. लम्बाई .... 2. चेस्ट............... 3. पेट...............
4. हीप............... 5. सोल्डर...............4. आस्तीन...............
5. गला ....

(14) निम्नांकित पृथक से संलग्न करें
(अ) जन्मतिथि सत्यापन हेतु आठवीं/दसवीं की अंकसूची

(ब) खेल उपलब्धियों का विवरण एवं उससे संबंधित प्रमाण–पंत्रों की छायाप्रति

(15) (अ) बैंक का नाम खाता कमांक एवं ....

IFSC कोड ....

(ब) आधार नम्बर ....

घोषणा–पत्र

(1) यह कि मैंने इस पुरस्कार हेतु निर्धारित नियमों का अध्ययन कर लिया है एवं सभी नियमों को स्वीकार कर लिया है। यदि मुझे यह पुरस्कार प्राप्त होता है तो इसे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा/करूंगी।

(2) यह कि उपरोक्त विवरण पूर्णतः सत्य एवं प्रमाणित है। प्रस्तुत ज्ञानकारी असत्य पाए जाने की स्थिति में यह पंजीयन ज्ञापन निरस्त कर दिया जाए तथा असत्य जानकारी देने के लिए मैं विधि के अनुसार उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

हस्ताक्षर

खिलाड़ी का पूरा नाम ....

पूर्ण पता/मो0नं0/ई–मेल ....

....

....

परिशिष्ट – स

क्रमांक .... दिनांक ....

प्रति,

संचालक,
खेल एवं युवा कल्याण
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषयः– शहीद विनोद चौबे सम्मान हेतु पंजीयन ज्ञापन।

स्व अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

(1) खेल का नाम ....

(2) खिलाड़ी का नाम ....

(3) पिता/पति का नाम ....

(4) पूर्ण डाक पता/मो0नं0/ई–मेल ....

....

(5) जन्म तिथि
अंकों में– तिथि .... माह .... वर्ष ....

शब्दों में ....
(कक्षा आठवीं/दसवीं बोर्ड की अंकसूची संलग्न करें)

(6) शैक्षणिक योग्यता ....

(7) यदि शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी रहें हो तो जानकारी दें –

कार्यालय का नाम पता ....

पद ....

सेवानिवृत्ति का दिनांक ....

(8) पुरस्कार वर्ष ....
(जिस वर्ष के पुरस्कार के लिए पंजीयन कराया जा रहा हो)

(9) छत्तीसगढ़ में विगत पांच वर्षों से निवास का स्थान एवं अवधि

क्र0	वर्ष	निवास स्थान एवं पूर्ण पता	अवधि
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

(10) राज्य शासन किसी अन्य राज्य या स्त्रोत से खेल पुरस्कार मिला हो तो उसकी जानकारी ....

(11) उपलब्धियां जिसके आधार पर अनुशंसा प्रस्तुत की जा रही हो
(नोटः– पृथक से संलग्न किया जा सकता है) ....

(12) आवेदक के ब्लेजर का नाप (इंच में) 1. लम्बाई .... 2. चेस्ट................... 3. पेट.......................
4. हीप..................... 5. सोल्डर.....................4. आस्तीन...............
5. गला ....

(13) (अ) बैंक का नाम खाता कमांक एवं ....

IFSC कोड ....

(ब) आधार नम्बर ....

(14) निम्नांकित पृथक से संलग्न करें
(अ) जॅन्मतिथि हेतु प्रमााण–पत्र
(ब) खेल उपलब्धियों का विवरण एवं उससे संबंधित प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति

घोषणा–पत्र

(1) यह कि मैंने इस पुरस्कार हेतु निर्धारित नियमों का अध्ययन कर लिया है एवं सभी नियमों को स्वीकार कर लिया है। यदि मुझे यह पुरस्कार प्राप्त होता है तो इसे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा/करूंगी।

(2) यह कि उपरोक्त विवरण पूर्णतः सत्य एवं प्रमाणित है। प्रस्तुत जानकारी असत्य पाए जाने की स्थिति में यह पंजीयन ज्ञापन निरस्त कर दिया जाए तथा असत्य जानकारी देने के लिए मैं विधि के अनुसार उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

हस्ताक्षर

खिलाड़ी का पूरा नाम ....
पूर्ण पता/मो0नं0/ई/मेल ....
....
....

परिशिष्ट–द

स्व
अभिप्रमाणित
फोटोग्राफ

प्रति,

संचालक
खेल एवं युवा कल्याण
छत्तीसगढ़

विषयः वीर हनुमान सिंह पुरस्कार हेतु प्रशिक्षक/निर्णायक का पंजीयन ज्ञापन ।

=00=

(1) खेल का नाम ....

(2) प्रशिक्षक /निर्णायक का नाम ....

(3) पिता/पति का नाम ....

(4) पूर्ण डाक पता/मो0नं0/ई–मेल ....
....

(5) शैक्षणिक योग्यता ....

(6) यदि शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी हो तो जानकारी दें ।
कार्यालय का नाम पता ....
पद ....

(7) प्रशिक्षक निम्नांकित जानकारी दें ।
(यह जानकारी मात्र प्रशिक्षको से संबंधित है)

(अ)1. क्या प्रशिक्षक संबंधित खेल के राज्य संघ का पदाधिकारी है । यदि हॉ तो राज्य संघ में क्या पद है ? ....

2. क्या प्रशिक्षक, भारतीय दल का प्रशिक्षक मनोनीत किया है यदि हॉ,तो भारतीय दल का विवरण ....
प्रतियोगिता जिसमें भारतीय दल ने भाग लिया ....
क्या प्रशिक्षक ने उक्त प्रतियोगिता में भारतीय दल का प्रशिक्षक था ....

3. क्या प्रशिक्षक को किसी अन्य राज्य या स्रोत से प्रशिक्षण कार्य हेतु पुरस्कार प्राप्त हुआ है यदि हॉ तो उसका विवरण लिखे
राज्य या स्त्रोत का नाम ....
पुरस्कार का नाम ....
वर्ष ....

(2)

(ब) प्रशिक्षक के विगत दस वर्षो के प्रशिक्षण स्थल की जानकारी दें ।

(स) व्यक्तिगत खेलों के प्रशिक्षक निम्नांकित जानकारी दे ।

अ. क्या प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षित राज्य के खिलाड़ियों ने विगत दस वर्षो की अवधि में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप यां राष्ट्रीय खेलों में पॉच पदक प्राप्त किए है । यदि हॉ तो खिलाड़ियों, प्रतियोगिता एवं पदक की जानकारी दें — हॉ/नहीं

या

क्या प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षित राज्य के कम से कम तीन खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया है । यदि हॉ तो खिलाड़ियों, प्रतियोगिता एवं पदक की जानकारी दें — हॉ/नहीं

नोट— उपरोक्त जानकारी में सीनियर एवं जूनियर वर्ग की उपलब्धियॉ सम्मिलित की जाएगी

ब. उपरोक्त कण्डिका (अ) का उत्तर यदि हॉ है तो क्या उक्त पॉच पदकों में कम से कम एक पदक सीनियर वर्ग का है । — हॉ/नहीं

स. क्या उपरोक्त पॉच पदको की उपलब्धियों में कम से कम तीन पृथक—पृथक खिलाड़ियों द्वारा प्राप्त की गई है । — हॉ/नहीं

या

क्या उपरोक्त पॉच पदकों की उपलब्धियॉ तीन पृथक—पृथक वर्षो में प्राप्त की गई हैं । — हॉ/नहीं

(स) व्यक्तिगत खेलों के प्रशिक्षक निम्नांकित जानकारी दे ।

अ. क्या प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षित राज्य के खिलाड़ियों ने विगत दस वर्षो की अवधि में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेलों में पॉच पदक प्राप्त किए है । यदि हॉ तो खिलाड़ियों, प्रतियोगिता एवं पदक की जानकारी दें — हॉ/नहीं

या

क्या प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षित राज्य के कम से कम तीन खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया है । यदि हॉ तो खिलाड़ियों, प्रतियोगिता एवं पदक की जानकारी दें — हॉ/नहीं

नोट— उपरोक्त जानकारी में सीनियर एवं जूनियर वर्ग की उपलब्धियॉ सम्मिलित की जाएगी

(3)

ब. उपरोक्त कण्डिका (अ) का उत्तर यदि हॉ है तो क्या उक्त पॉच पदकों में कम से कम एक पदक सीनियर वर्ग का है । हॉ/नहीं

स. क्या उपरोक्त पॉच पदको की उपलब्धियों में कम से कम तीन पृथक–पृथक खिलाड़ियों द्वारा प्राप्त की गई है । हॉ/नहीं

या

क्या उपरोक्त पॉच पदकों की उपलब्धियॉ तीन पृथक–पृथक वर्षो में प्राप्त की गई हैं । हॉ/नहीं

(द) दलीय खेलों के प्रशिक्षक निम्नांकित जानकारी दे

अ. क्या राज्य के खिलाड़ी ने विगत दस वर्षो की अवधि में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेलों से संबंधित खेल में पृथक–पृथक पॉच बार पदक जीता है । हॉ/नहीं

ब. क्या उपरोक्त पॉच पदको में एक पदक सीनियर वर्ग में है । हॉ/नहीं

स. क्या उपरोक्त पॉच बार पदक जीतने वाले प्रत्येक दल में प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों की संख्या कुल दल संख्या का 40 प्रतिशत है हॉ/नहीं

(ई) क्या प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षित कम से कम सात खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया है। हॉ/नहीं

(9) निर्णायक निम्नांकित जानकारी दें

अ. क्या प्रशिक्षक के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में निर्णयन का प्रमाण पत्र है यदि हॉ तो क्या वह पॉच वर्ष पूर्व का है ? कृपया प्रमाण पत्र का वर्ष भी लिखे हॉ/नहीं

ब. क्या निर्णायक को ओलम्पिक, राष्ट्रमण्डलीय खेल एशियाड़, विश्व चैम्पियनशिप विश्वकप (उपरोक्त सभी विदेश में आयोजित) में निर्णयन कार्य के लिए आयोजन समिति या अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा निर्णयन कार्य के लिए आमंत्रित किया गया है ? हॉ/नहीं

स. यदि उपरोक्त का उत्तर हॉ तो क्या संबंधित में उसके निर्णयन कार्य किया है ? हॉ/नहीं

(4)

द. क्या निर्णायक को किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में निर्णयन कार्य हेतु आयोजन समिति या संबंधित अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा निर्णयन कार्य हेतु तीन पृथक–पृथक वर्षो में आमंत्रित किया गया है ? हॉ/नहीं

इ. यदि उपरोक्त का उक्त हॉ तो क्या संबंधित ने

(10) निम्नांकित पृथक से संलग्न करें ।

अ. प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षित पदक प्राप्त खिलाड़ियों की सूची एव उपलब्धियों का विवरण ।

ब. संबंधित खिलाड़ियों के खेल उपलब्धि प्रमाण पत्र की छाया प्रति ।

स. संबंधित खिलाड़ियों का घोषणा पत्र जिसमें उल्लेख हो कि उन्हें संबंधित प्रशिक्षक ने नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया है ।

द. निर्णायक का अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में निर्णयन कार्य का प्रमाण पत्र एवं उक्त प्रतियोगिता में निर्णयन कार्य हेतु नियुक्त किए जाने का आमंत्रण/नियुक्ति पत्र।

(11) आवेदक के ब्लेजर का नाप (इंच में) 1. लम्बाई .... 2. चेस्ट................. 3. पेट..................... 4. हीप.................. 5. सोल्डर..................4. आस्तीन.............. 5. गला ....

(12) (अ) बैंक का नाम खाता कमांक एवं IFSC कोड ....

(ब) आधार नम्बर ....

घोषणा पत्र

(1) यह कि मैंने इस पुरस्कार हेतु निर्धारित नियमों का अध्ययन कर लिया है एवं सभी नियमों को स्वीकार कर लिया है । यदि मुझे यह पुरस्कार प्राप्त होता है तो इसे मै सहर्ष स्वीकार करूँगा/ करूँगी ।

(2) यह कि उपरोक्त विवरण पूर्णतः सत्य एवं प्रमाणित है । प्रस्तुत जानकारी असत्य पाए जाने की स्थिति में यह पंजीयन ज्ञापन निरस्त कर दिया जाए तथा असत्य जानकारी देने के लिए मैं विधि के अनुसार उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी ।

हस्ताक्षर

प्रशिक्षक/निर्णायक का पूरा नाम ....

पूर्ण पता/मो0नं0 ....

ई–मेल ....

राज्य खेल संघ के सचिव द्वारा अभिप्रमाणित

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2017

क्रमांक 198/एफ 2–3/2004/19/स्था–3.–भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा में भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**– (1) ये नियम छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2016 कहलायेंगे।

   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–
   (क) सेवा के संबंध में **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है अनुसूची–एक में यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी;
   (ख) **"समिति"** से अभिप्रेत है सीधी भर्ती/पदोन्नति के लिये तात्पर्यित चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति जैसा कि अनुसूची–दो एवं चार में विनिर्दिष्ट है;
   (ग) **"परीक्षा"** से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;
   (घ) **"शासन"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
   (ड.) **"राज्यपाल"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;
   (च) **"अन्य पिछड़े वर्ग"** से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ–8–5–पच्चीस–4–84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
   (छ) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
   (ज) **"अनुसूचित जाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;
   (झ) **"अनुसूचित जनजाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;
   (ञ) **"सेवा"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा;
   (ट) **"राज्य"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**– सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात् :–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनूसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**– सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची–एक में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होंगे:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय–समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. **भर्ती का तरीका.**–

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्:–

(क) प्रतियोगी परीक्षा अथवा मेरिट के आधार पर चयन या साक्षात्कार के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा :

परंतु यह कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ–9–6/2015/3–एक, दिनांक 5 दिसम्बर, 2015 के अनुसार, तृतीय श्रेणी (गैर–कार्यपालिक) पदों के लिए कोई साक्षात्कार नहीं होगी।

(ख) अनुसूची–चार में यथा विनिर्दिष्ट पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल/स्थानापन्न हैसियत में धारण करते हो, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किए गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची–दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासन के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

(4) उप–नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश (यथा संशोधित) लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.**– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियाँ, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.**– सीधी भर्ती/चयन हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :–

(एक) आयु–

(क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए भी, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी या स्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ङ.) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात्:–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक;

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं);

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में, 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ञ) अभ्यर्थी, जिन्हें उनके संवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/विधवा/ तलाकशुदा इत्यादि) के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ अभिप्राप्त है, को अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध अतिरिक्त छूट यथावत मिलती रहेगी, किन्तु उपरोक्त उल्लिखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन छूट का लाभ प्राप्त करने के उपरांत अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ट) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

टीप–(1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम 8 के खण्ड (एक) के उप-खण्ड (घ) के पैरा (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(दो) **शैक्षणिक अर्हताएं–** अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये यथा विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए, जैसा कि अनुसूची–तीन में दर्शित है।

(तीन) **शुल्क–** अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

9. निरर्हता.–

(1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा में/चयन हेतु उपस्थित होने हेतु निरर्हित माना जा सकेगा।

(2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी :

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये :

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम निराकरण न कर दिया जाए।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद के लिए निरर्हित नहीं होगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.–**

(1) परीक्षा/चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

11. **प्रतियोगी परीक्षा/चयन/साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती.–**

(1) **प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती :–**

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति गठित करेगा, जिसमें तीन सदस्य सम्मिलित होंगे।

(दो) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों पर आयोजित की जायेगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, शासन के परामर्श से, समय–समय पर अवधारित करे।

(तीन) परीक्षा, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार चयन समिति द्वारा आयोजित की जायेगी।

(2) **चयन/साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती–**

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समुचित समय अन्तरालों पर चयन समिति गठित की जायेगी, जिसमें तीन सदस्य सम्मिलित होंगे।

(दो) सेवा में अभ्यर्थियों का चयन ऐसे अन्तरालों पर किया जायेगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये।

(तीन) अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा किया जायेगा,–

(क) तकनीकी/कार्यपालिक एवं कार्यपालिक से भिन्न तकनीकी के मामले में साक्षात्कार के आधार पर; तथा

(ख) लिपिकीय एवं चतुर्थ श्रेणी के मामले में मेरिट के आधार पर।

(3) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंध तथा उक्त अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के लिये पात्र घोषित किया गया हो, को उप–नियम (3) के अनुसार, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) महिला अभ्यर्थियों के लिये 30% पदों को, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा। यह आरक्षण, समस्तर एवं प्रभागवार होगा ।

(7) ऐसे मामलों में, जहाँ सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाये कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(8) उपरोक्त के अतिरिक्त, निःशक्त व्यक्ति तथा भूतपूर्व सैनिक के लिये पदों को शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा।

12. **समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची.–**

(1) समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों, तैयार करेगी तथा उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी। इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जायेगी।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.–

(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए, एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:

परन्तु इस उप–नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की न हो।

(3) पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार होगी।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रकिया, उप–नियम (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन– नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

14. पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.–

(1) उप–नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में, जिनसे पदोन्नति की जानी है अथवा शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में), उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण– पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति– संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक, फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के नियम 4 के अनुसार की जाएगी।

(3) पदोन्नति, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश के अनुसार तथा मॉडल रोस्टर के अनुसार की जायेगी।

15. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.–

(1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, सूची के तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी।

(2) ऐसी सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु चयन, गुणागुण (मेरिट) तथा सभी संदर्भों में उपयुक्तता (वरिष्ठता सह उपयुक्तता) पर आधारित होगी।

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अनुसार चयन सूची तैयार किये जाने के समय, सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण– ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर, जिन पर पश्चात्‌वर्ती चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

16. चयन सूची.–

(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा उल्लिखित पदों पर, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए अनुमोदित चयन सूची होगी।

(2) चयन सूची सामान्यतः इसके तैयार किये जाने की तारीख से कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक विधिमान्य रहेगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण अथवा कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

17. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.–

(1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारी की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे कर्मचारियों के नाम, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार सूची में आये हों।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो शासन की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

18. **परिवीक्षा.**–

(1) (क) सेवा में सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा ।

(ख) यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 1 वर्ष तक की कालावधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी।

(ग) परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, कर्मचारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

(2) सेवा में पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिये स्थानापन्न हैसियत से नियुक्त किया जायेगा।

19. **निर्वचन.**– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

20. **शिथिलीकरण.**– इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है :

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

21. **निरसन एवं व्यावृत्ति.**–

(1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप सचिव.

अनुसूची—एक
(नियम 5 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान		नियुक्ति प्राधिकारी	टिप्पणियां
				वेतन बैंड	ग्रेड वेतन		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			तृतीय श्रेणी (तकनीकी/कार्यपालिक)				
1.	उप—अभियंता (सिविल)	1047	अराजपत्रित राज्य संवर्ग	9300—34800	4200	प्रमुख अभियंता	
2.	उप—अभियंता (वि./यां)	103	—तदैव—	9300—34800	4200	प्रमुख अभियंता	
			तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक से भिन्न तकनीकी)				
1.	मुख्य मानचित्रकार	1	—तदैव—	9300—34800	4200	प्रमुख अभियंता	
2.	मानचित्रकार (सिविल)	70	—तदैव—	9300—34800	4200	प्रमुख अभियंता	
3.	मानचित्रकार (वि./यां)	05	—तदैव—	9300—34800	4200	प्रमुख अभियंता	
4.	सहायक मानचित्रकार (सिविल)	226	जिला संवर्ग	5200—20200	2400	प्रमुख अभियंता	
5.	सहायक मानचित्रकार (वि./यां)	02	जिला संवर्ग	5200—20200	2400	प्रमुख अभियंता	
6.	अनुरेखक	50	—तदैव—	5200—20200	1900	प्रमुख अभियंता	
7.	अनुसंधान सहायक	06	—तदैव—	9300—34800	4200	प्रमुख अभियंता	
8.	प्रयोगशाला सहायक	06	—तदैव—	5200—20200	1900	प्रमुख अभियंता	
9.	वाहन चालक	13	—तदैव—	5200—20200	1900	प्रमुख अभियंता	

तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय)							
1.	परिक्षेत्र अधीक्षक	07	अराजपत्रित राज्य संवर्ग	9300–34800	4300	प्रमुख अभियंता	
2.	मंडल अधीक्षक	15	–तदैव–	9300–34800	4200	प्रमुख अभियंता	
3.	वरिष्ठ निज सहायक	01	–तदैव–	9300–34800	4400	प्रमुख अभियंता	
4.	निज सहायक	08	–तदैव–	9300–34800	4200	प्रमुख अभियंता	
5.	शीघ्रलेखक	21	जिला संवर्ग	5200–20200	2800	प्रमुख अभियंता	
6.	स्टेनो टायपिस्ट	58	–तदैव–	5200–20200	1900	प्रमुख अभियंता	
7.	सहायक ग्रेड–एक	49	अराजपत्रित राज्य संवर्ग	5200–20200	2800	प्रमुख अभियंता	
8.	सहायक ग्रेड–दो	385	–तदैव–	5200–20200	2400	प्रमुख अभियंता	
9.	सहायक ग्रेड–तीन	719	जिला संवर्ग	5200–20200	1900	प्रमुख अभियंता	
10.	सहायक प्रोग्रामर	06	–तदैव–	9300–34800	4300	प्रमुख अभियंता	
11.	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	104	–तदैव–	5200–20200	2400	प्रमुख अभियंता	
चतुर्थ श्रेणी (राज्य संवर्ग से भिन्न)							
1.	जमादार	01	अराजपत्रित अराज्य स्तरीय संवर्ग	4750–7440	1400	प्रमुख अभियंता	
2.	दफ्तरी	27	–तदैव–	4750–7440	1400	प्रमुख अभियंता	
3.	प्रयोगशाला सहायक	05	–तदैव–	5200–20200	1800	प्रमुख अभियंता	
4.	भृत्य	713	–तदैव–	4750–7440	1300	प्रमुख अभियंता	
5.	चौकीदार	12	–तदैव–	4750–7440	1300	प्रमुख अभियंता	
6	रिकार्ड कीपर	01	–तदैव–	4750–7440	1400	प्रमुख अभियंता	
7	वाटरमेन	06	–तदैव–	4750–7440	1300	प्रमुख अभियंता	
8	स्वीपर	06	–तदैव–	4750–7440	1300	प्रमुख अभियंता	

अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिये)

स. क्र	पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों का प्रतिशत			चयन समिति / विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6 (1)(क) देखिये)	सेवा के मूल सदस्यों के पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (1)(ख) देखिये)	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के अस्थायी स्थानान्तरण द्वारा (नियम 6 (1)(ग) देखिये)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				तृतीय श्रेणी (तकनीकी/कार्यपालिक)			
1.	उप अभियंता (सिविल)	1047	95%	5%	–	1. प्रमुख अभियंता या उसके द्वारा नामांकित –**अध्यक्ष** 2. मुख्य अभियंता –**सदस्य** 3. दो अधीक्षण अभियंता –**सदस्य**	
2.	उप अभियंता (वि./यां)	103	95%	5%	–	–तदैव–	
				तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक से भिन्न तकनीकी)			
1.	मुख्य मानचित्रकार	01	–	100%	–	1. प्रमुख अभियंता या उसके द्वारा नामांकित –**अध्यक्ष** 2. मुख्य अभियंता –**सदस्य** 3. दो अधीक्षण अभियंता –**सदस्य**	
2.	मानचित्रकार (सिविल)	70	–	100%	–	–तदैव–	
3.	मानचित्रकार (वि./यां)	05	–	100%	–	–तदैव–	
4.	सहायक मानचित्रकार (सिविल)	226	50%	50%	–	–तदैव–	
5.	सहायक मानचित्रकार (वि./यां)	226	50%	50%	–	–तदैव–	

6.	अनुरेखक	50	100%	—	—	1. प्रमुख अभियंता या उसके द्वारा नामांकित —**अध्यक्ष** 2. मुख्य अभियंता —**सदस्य** 3. दो अधीक्षण अभियंता —**सदस्य**	
7.	अनुसंधान सहायक	06	100%	—	—	—तदैव—	
8.	प्रयोगशाला सहायक	06	100%	—	—	—तदैव—	
9.	वाहन चालक	13	100%	—	—	—तदैव—	कार्यभारित वाहन चालक द्वारा भरा जायेगा।
			तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय)				
1.	परिक्षेत्र अधीक्षक	07	—	100%	—	1. प्रमुख अभियंता या उसके द्वारा नामांकित —**अध्यक्ष** 2. मुख्य अभियंता —**सदस्य** 3. दो अधीक्षण अभियंता —**सदस्य**	
2.	मंडल अधीक्षक	15	—	100%	—	—तदैव—	
3.	वरिष्ठ निज सहायक	01	—	100%	—	—तदैव—	
4.	निज सहायक	08	—	100%	—	—तदैव—	
5.	शीघ्रलेखक	21	50%	50%	—	—तदैव—	
6.	स्टेनो टायपिस्ट	58	100%	—	—	**प्रमुख अभियंता कार्यालय हेतु—** 1. प्रमुख अभियंता या उसके द्वारा नामांकित —**अध्यक्ष** 2. मुख्य अभियंता —**सदस्य** 3. दो अधीक्षण अभियंता —**सदस्य** **मुख्य अभियंता कार्यालय हेतु—** 1. मुख्य अभियंता या उसके द्वारा नामांकित —**अध्यक्ष**	

						2. दो अधीक्षण अभियंता —**सदस्य** 3. कार्यपालन अभियंता —**सदस्य** **संभागीय कार्यालय के अन्तर्गत अधीक्षण अभियंता हेतु—** 1.अधीक्षण अभियंता —**अध्यक्ष** 2. दो कार्यपालन अभियंता — **सदस्य** 3. सहायक अभियंता —**सदस्य**	
7.	सहायक ग्रेड—एक	49	—	100%	—	1. प्रमुख अभियंता या उसके द्वारा नामांकित —**अध्यक्ष** 2. मुख्य अभियंता —**सदस्य** 3. दो अधीक्षण अभियंता —**सदस्य**	
8.	सहायक ग्रेड—दो	385	—	100%	—	—तदैव—	
9.	सहायक ग्रेड—तीन	719	75%	25%	—	—तदैव—	
10.	सहायक प्रोग्रामर	06	100%	—	—	—तदैव—	
11.	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	104	100%	—	—	—तदैव—	
			चतुर्थ श्रेणी (राज्य संवर्ग से भिन्न)				
1.	जमादार	01	—	100%	—	1. प्रमुख अभियंता या उसके द्वारा नामांकित —**अध्यक्ष** 2. मुख्य अभियंता —**सदस्य** 3. दो अधीक्षण अभियंता —**सदस्य**	
2.	दफ्तरी	27	—	100%	—	—तदैव—	
3.	प्रयोगशाला सहायक	05	—	100%	—	—तदैव—	भृत्य से भरे जायेंगे।
4.	भृत्य	713	100%	—	—	—तदैव—	
5.	चौकीदार	12	100%	—	—	—तदैव—	

6	रिकार्ड कीपर	01	—	100%	—	1. प्रमुख अभियंता या उसके द्वारा नामांकित —अध्यक्ष 2. मुख्य अभियंता —सदस्य 3. दो अधीक्षण अभियंता —सदस्य	भृत्य से भरे जायेंगे।
7	वाटरमेन	06	100%	—	—	—तदैव—	
8	स्वीपर	06	100%	—	—	—तदैव—	

अनुसूची—तीन
(नियम 8 देखिये)

स. क्र.	सेवा/पदों के नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	उप अभियंता (सिविल)	20 वर्ष	35 वर्ष	(1) राज्य शासन द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल, इलेक्ट्रिकल एवं मेकेनिकल में न्यूनतम त्रिवर्षीय डिप्लोमा अथवा समकक्ष इंजीनियरिंग उत्तीर्ण। (2) 5% पदों को निम्न पद पर कार्य कर रहे अनुरेखक/सहायक मानचित्रकार के लिये आरक्षित रखा जायेगा।	
2.	उप अभियंता (वि./यां)	20 वर्ष	35 वर्ष	(1) राज्य शासन द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रिकल एवं मेकेनिकल में न्यूनतम त्रिवर्षीय डिप्लोमा अथवा समकक्ष इंजीनियरिंग उत्तीर्ण। (2) 5% पदों को निम्न पद पर कार्य कर रहे अनुरेखक/सहायक मानचित्रकार के लिये आरक्षित रखा जायेगा।	

3.	सहायक मानचित्रकार (सिविल)	18 वर्ष	35 वर्ष	वास्तुकला में पत्रोपाधि **अथवा** औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से सिविल / इलेक्ट्रीकल / मैकेनिकल इंजीनियरिंग मानचित्रकला (ड्राफ्ट्समेनशीप) में प्रमाणपत्र। **अथवा** सर्वेयर का व्यवसायिक शिक्षुता प्रमाणपत्र। **अथवा** इंडस्ट्रीयल काऊंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग (3 वर्षीय) प्रमाणपत्र।	
4.	सहायक मानचित्रकार (वि. / यां)	18 वर्ष	35 वर्ष	वास्तुकला में पत्रोपाधि **अथवा** औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रीकल / मैकेनिकल इंजीनियरिंग मानचित्रकला (ड्राफ्ट्समेनशीप) में प्रमाणपत्र। **अथवा** सर्वेयर का व्यवसायिक शिक्षुता प्रमाणपत्र। **अथवा** इंडस्ट्रीयल काऊंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग (3 वर्षीय) प्रमाणपत्र।	
5.	अनुरेखक	–तदैव–	–तदैव–	हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) या एक विषय के रूप में ड्राइंग के साथ कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त किसी अन्य बोर्ड या संस्था का प्रमाणपत्र। **अथवा** छत्तीसगढ़ बोर्ड या किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से हायर सेकेण्डरी (तकनीकी) परीक्षा का प्रमाणपत्र। **अथवा** सर्वेयर का व्यवसायिक शिक्षुता प्रमाणपत्र।	

6.	अनुसंधान सहायक	–तदैव–	–तदैव–	भौतिकी तथा रसायन शास्त्र के साथ प्रथम श्रेणी में बी.एस.सी. उपाधि या एक विषय के रूप में भौतिक शास्त्र के साथ एम.एस.सी. उपाधि।	
7.	प्रयोगशाला सहायक	–तदैव–	–तदैव–	भौतिकी तथा रसायन शास्त्र के साथ विज्ञान की इन्टर परीक्षा या भौतिकी तथा रसायन शास्त्र के साथ बी.एस.सी. (भाग–1)।	
8.	वाहन चालक	–तदैव–	–तदैव–	आठवीं की परीक्षा उत्तीर्ण एवं चार पहिया वाहन का वैध ड्रायविंग लाईसेंस।	
9.	शीघ्रलेखक	–तदैव–	–तदैव–	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, **अथवा** पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था/शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) मुद्रलेखन परिषद् से:– (क) **शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिए**– हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी)। (ख) **शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के लिए**– अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी)। (ग) **द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिए**– ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अनुसार हिन्दी तथा अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी)। (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एण्ट्री की 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)।	

10.	स्टेनो टायपिस्ट	–तदैव–	–तदैव–	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, **अथवा** पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 60 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)। (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एण्ट्री की 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)।	
11.	सहायक ग्रेड–तीन	–तदैव–	–तदैव–	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, **अथवा** पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र। (3) कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)।	
12.	सहायक प्रोग्रामर	–तदैव–	–तदैव–	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर साईंस या सूचना प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा अथवा किसी मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर सेंटर से कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में कम से कम 2 वर्ष के अनुभव के साथ समकक्ष डिप्लोमा। **अथवा** गणित, भौतिकी/सांख्यिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि साथ ही 1 वर्षीय पी.जी.डी.सी.ए. एवं किसी मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर सेन्टर से 1 वर्ष का अनुभव।	

13.	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	–तदैव–	–तदैव–	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। अथवा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्था से त्रिवर्षीय डिप्लोमा। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एण्ट्री की 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)	
14.	प्रयोगशाला सहायक	18 वर्ष	35 वर्ष	8वीं कक्षा उत्तीर्ण	
15.	भृत्य	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	
16.	वाटरमेन	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	
17.	स्वीपर	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	
18.	चौकीदार	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	

टीपः– ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हैं के लिये, उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।

अनुसूची–चार
(नियम 14 देखिये)

स. क्र.	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु अपेक्षित न्यूनतम अवधि	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	निम्न पद पर कार्यरत पत्रोपाधि धारक/उपाधि धारक अनुरेखक/सहायक मानचित्रकार आदि	05 वर्ष	उप अभियंता	1. प्रमुख अभियंता या उसके द्वारा नामांकित —**अध्यक्ष** 2. मुख्य अभियंता —**सदस्य** 3. दो अधीक्षण अभियंता —**सदस्य**	
2	मानचित्रकार	03 वर्ष	मुख्य मानचित्रकार	1. प्रमुख अभियंता या उसके द्वारा नामांकित —**अध्यक्ष** 2. मुख्य अभियंता —**सदस्य** 3. दो अधीक्षण अभियंता —**सदस्य**	
3	सहायक मानचित्रकार	05 वर्ष	मानचित्रकार	–तदैव–	
4	अनुरेखक	07 वर्ष	सहायक मानचित्रकार	–तदैव–	
5	मण्डल अधीक्षक	05 वर्ष	परिक्षेत्र अधीक्षक	1. प्रमुख अभियंता या उसके द्वारा नामांकित —**अध्यक्ष** 2. मुख्य अभियंता —**सदस्य** 3. दो अधीक्षण अभियंता —**सदस्य**	इन प्रवर्गों में पदोन्नति हेतु विभागीय सुपीरियर क्लर्कशीप परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य
6	सहायक ग्रेड–एक	05 वर्ष	मण्डल अधीक्षक	–तदैव–	–तदैव–
7	सहायक ग्रेड–दो	05 वर्ष	सहायक ग्रेड–एक	–तदैव–	–तदैव–
8	सहायक ग्रेड–तीन	05 वर्ष	सहायक ग्रेड–दो	–तदैव–	

9	निज सहायक	05 वर्ष	वरिष्ठ निज सहायक	–तदैव–	
10	शीघ्रलेखक	05 वर्ष	निज सहायक	–तदैव–	
11	स्टेनो टायपिस्ट	05 वर्ष	शीघ्रलेखक	–तदैव–	
12	भृत्य / जमादार / दफ्तरी / रिकार्ड कीपर / प्रयोगशाला सहायक	5 वर्ष एवं किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी प्रमाणपत्र परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण।	सहायक ग्रेड–तीन	1. प्रमुख अभियंता या उसके द्वारा नामांकित , **–अध्यक्ष** 2. मुख्य अभियंता **–सदस्य** 3. दो अधीक्षण अभियंता **–सदस्य**	
13	भृत्य	5 वर्ष एवं 8वीं कक्षा उत्तीर्ण	जमादार / दफ्तरी / रिकार्ड कीपर / प्रयोगशाला सहायक	–तदैव–	

नया रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2017

क्रमांक एफ 2–3/2004/19/स्था–3.–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2–3/2004/19/स्था–3 दिनांक 17–01–2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप सचिव.

Naya Raipur, the 17th January 2017

No. F 3-11/2014/19/estt-3.– In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to recruitment in the Chhattisgarh Public Works Department (Non-Gazetted) Services, namely:-

RULES

1. **Short title and commencement.-**
   (1) These rules may be called the Chhattisgarh Public Works Department (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 2016.

   (2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** - In these rules, unless the context otherwise requires,-
   (a) **"Appointing Authority"** in respect of service means the authority as specified in Schedule-I;

   (b) **"Committee"** means a Selection Committee/ Departmental Promotion Committee meant for direct recruitment/promotion as specified in Schedule-II and IV;

   (c) **"Examination"** means the competitive examination held for recruitment to the service conducted under rule 11 of these rules;

   (d) **"Government"** means the Government of Chhattisgarh;

   (e) **"Governor"** means the Governor of Chhattisgarh;

   (f) **"Other Backward Classes"** means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;

   (g) **"Schedule"** means the Schedule appended to these rules;

   (h) **"Scheduled Castes"** means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

(i) **"Scheduled Tribes"** means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

(j) **"Service"** means the Chhattisgarh Public Works Department (Non-Gazetted) Services;

(k) **"State"** means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and application.**-Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the service.** - Service shall consist of the following persons, namely:-

(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule-I;

(2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, scale of pay etc.**- The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of recruitment. –**

(1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely: -

(a) by direct recruitment, through competitive examination or selection or interview on the basis of merit:

rovided that as per General Administration Department's Circular No. F-9-6/2015/3-One, dated 5th December, 2015 there shall not be any interview for Class-III (non-executive) post.

(b) by promotion as specified in Schedule-IV;

(c) by transfer/ deputation of persons, who hold in a substantive/ officiating capacity such post, in such services, as may be specified in this behalf.

(2) The number of the persons recruited under clause (a), (b) or (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as

may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government, the exigencies of the service so require, then he may, with the prior concurrence of the General Administration Department of the Government, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) At the time of recruitment to the service, the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994, (No. 21 of 1994) and instructions (as amended) issued from time to time by the General Administration Department of the Government shall apply.

7. **Appointment in service.-** All appointments to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.-** In order to be eligible for direct recruitment/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(I) **Age –**

(a) The candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and must not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January of the year in which the advertisement for the post is published;

(b) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 5 years, if a candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes (Non-creamy-layer);

(c) The upper age limit shall also be relaxable upto a maximum of 10 years for a women candidate in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997;

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh, to the extent and subject to the conditions specified below:-

(i) A candidate, who is a permanent or temporary Government servant should not be more than 38 years of age;

(ii) A candidate, holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committee;

(iii) A candidate who is a "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years;

Explanation- The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not before three years from the date of his registration at the employment exchange or application made otherwise for employment in Government service.

(e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years;

Explanation -The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government service, namely:-

(i) Ex-servicemen released under mustering out concessions;

(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-

(a) Completion of short term engagement;

(b) Fulfilling the conditions of the enrolment;

(iii) Ex-personnel of Madras Civil Unit;

(iv) Ex-servicemen (Military and Civil) who are discharged on completion of their contract (including Short-Service Regular Commissioned Officers);

(v) Ex-servicemen discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(vi) Ex-Servicemen invalidated out of service;

(vii) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(viii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc;

(f) The upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under Inter-Caste Marriage Promotional Scheme under the Untouchability Eradication Rules, 1984;

(g) The upper age limit shall also be relaxable upto 5 years in respect of Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchand Bhanjdeo Awards holder candidates and National Youth Award holder young candidates;

(h) The upper age limit shall be relaxed up to 38 years of age in respect of candidates who are the employees of the Chhattisgarh State Corporations/Boards;

(i) The upper age limit shall be relaxed in case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of Home Guard service previously rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years;

(j) Candidates obtaining the benefit of relaxation in maximum age limit on the basis of their category (Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Women/ Widow/ Divorcee etc.) shall be given additional relaxation available in maximum age limit as usual, but in any case the maximum age shall not exceed 45 years irrespective of age relaxation under one or more than one category mentioned above;

(k) Apart from above in respect of age limit, the directions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time, shall also be applicable.

Note- (1) The candidates who are admitted to the examination/ selection under the age concessions mentioned in para (i) and (ii) of sub-clause (d) of clause (I) of rule 8 above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination/selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

(2) In no other case these age limits shall be relaxed. The departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the examination/ selection.

(II) **Educational qualifications** - The candidate must possess the educational qualifications as prescribed for the service as shown in Schedule-III.

(III) **Fees:** - The candidate must pay the fees as prescribed by the Appointing Authority.

9. **Disqualification.-**

(1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means, directly or indirectly, shall be held by the Appointing Authority to be a disqualification for appearing in the examination/selection.

(2) Any male candidate who is having more than one living wife and any female candidate who has married a man, who is already having a living wife, shall not be eligible for appointment in any service or post:

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so, then the Government may give relaxation in the enforcement of this rule to such candidates.

(3) Any candidate shall not be appointed to any service or post until he/ she is declared mentally or physically fit and free from any mental or physical disability which can hinder the fulfillment of duty of any service or post in such medical examination as may be prescribed:

Provided that in exceptional cases a candidate may be given temporary appointment on any service or post before his medical examination under a condition that if he is found medically unfit, then his services may be terminated immediately.

(4) Any candidate shall not be eligible on such condition to any service or post, if the Appointing Authority is satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, he/she is not fit for such service or post.

(5) Any candidate who is convicted for any offence against women shall not be eligible for any service or post:

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate, then matter of his appointment shall be kept in abeyance till the criminal matter is finally determined by the court.

(6) Any candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for any service or post.

(7) Any candidate who is having more than two living offspring, out of which one is born on 26th January, 2001 or thereafter, shall not be eligible for any service or post:

Provided that any candidate who is already having one living offspring and next delivery takes place on 26th January, 2001 or thereafter in which two or more children are born shall not be disqualified for any service or post.

10. Appointing Authority's decision about the eligibility of candidates shall be final. –

(1) The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for examination/selection shall be final and candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall not be allowed to appear in the examination/interview.

(2) At any time of selection process or even after submission of selection list to the Government, if it comes to the notice of the Appointing Authority that a candidate has given wrong information or any misinformation is found in the documents submitted by

him, then he will be disqualified and his selection/appointment shall be terminated by the Appointing Authority.

11. Direct Recruitment by Competitive Examination /Selection /Interview.–

(1) **Direct Recruitment by Competitive Examination:-**

(i) Appointing Authority shall constitute a Selection Committee comprising of three members.

(ii) The competitive examination for recruitment to the service shall be held at such interval as the Appointing Authority may, in consultation with the Government from time to time, determine.

(iii) The examination shall be conducted by the Selection Committee in accordance with orders issued by the Appointing Authority, from time to time.

(2) **Direct Recruitment by Selection/Interview –**

(i) Selection Committee comprising of three members shall be constituted by the Appointing Authority at appropriate time intervals.

(ii) The selection of the candidates to the service shall be held at such intervals as may be determined by the Appointing Authority.

(iii) The selection of candidates shall be done by the Selection Committee,-

(a) in case of Technical/Executive and Technical other than executive based on interview; and

(b) in case of Ministerial and Class-IV based on merit.

(3) At the time of recruitment to the service the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the directions issued under the said Act by the General Administration Department of the Government, from time to time, shall be applicable.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Those candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) who are declared eligible for appointment by the Appointing Authority keeping in view of their administrative efficiency, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) as per sub-rule (3) as the case may be.

(6) There shall be 30% posts reserved for women candidates, in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997. The reservation shall be Horizontal and Compartment-Wise.

(7) In such cases, where certain period of experience has been prescribed as an essential condition for the post to be filled by direct recruitment and it is in the opinion of the Appointing Authority that there is a possibility of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) may not be available in sufficient number, then the Appointing Authority may relax the condition of experience in respect of the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer).

(8) In addition to the above, posts for persons with disability and ex-servicemen shall be reserved in accordance with the directions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.

12. List of candidates recommended by the Committee.–

(1) The Committee shall prepare and forward a list to the Appointing Authority, arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as may be determined by the Selection Committee and a list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who, though not qualified by such standard but declared by the Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in the administration. Lists so prepared shall also be published for information to the general public.

(2) Subject to the provisions of these rules and the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

13. Appointment by Promotion.–

(1) There shall be constituted a Committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV, for making preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that under this sub-rule, for constitution of the Committee, provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be applicable.

(2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) The promotion shall be made in accordance with the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(4) The procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with sub-rule (3) and the instructions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.

(5) Certification by the Appointing Authority - Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him a certificate to the effect that he had complied with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhede Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and the rules by the State Government and that he has taken full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.

14. Conditions of eligibility for promotion.–

(1) subject to the provisions of sub-rule (2) the Committee shall consider the cases of all persons who on first day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) in the posts, from which promotion is to be made or in any other post or posts declared equivalent thereto by the Government as specified in column (3) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation.– The method of computation for eligibility for promotion– The calculation of period of qualifying service on 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee is convened, shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeder cadre/part of the service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of the service/pay scale of the post.

(2) The promotion shall be made in accordance with rule 4 of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(3) The promotion shall be made in accordance with the order issued by the General Administration Department from time to time and as per Model Roster.

15. Preparation of list of suitable candidate. –

(1) The committee shall prepare a list of such persons as to satisfy the condition prescribed in rule 14 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of period of one year from the date of preparation of the list.

(2) The Selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respect (seniority subject to fitness).

(3) The name of employees included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or post as specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of select list as per the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961.

Explanation- The person whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list shall have no claim to seniority over those persons considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

16. Select List. –

(1) The list as finally approved by the Appointing Authority shall be approved Select List for promotion of the members of service from the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV to the posts as mentioned in column (4) of the said schedule.

(2) The select list shall ordinarily be valid till 31st December of the calendar year from the date of its preparation:

Provided that in event of a grave lapse in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Appointing Authority and may if he thinks fit remove the name of such person from the select list.

17. Appointment to the service from the select list. –

(1) Appointment of the employee included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such employee appear in the list as per the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Committee before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

18. Probation. –

(1) (a) Every person recruited directly to the service shall be appointed on probation for a period of 2 years.

(b) If the work is found unsatisfactory, then the period of probation can be extended by the Appointing Authority for a period upto a maximum of 1 year.

(c) During the period of probation or period extended or at the end of probation period, if the Appointing Authority is of the opinion that any particular candidate is not fit to be an employee, then the services of such probationer can be terminated.

(2) Every person recruited by promotion to the service shall be appointed in officiating capacity for a period of 2 years.

19. Interpretation. – If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

20. Relaxation. – Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply, in such manner as may appear to him to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

21. Repeal and saving.–

(1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

(2) Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regards.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

M. M. Minj, Deputy Secretary.

SCHEDULE - I
(See rule 5)

S. No.	Name of the posts included in the service	Number of the duty Posts	Classification	Pay Scale		Appointing Authority	Remarks
				Pay Band	Grade Pay		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Class-III (Technical/Exectutive)							
1	Sub-Engineer (Civil)	1047	Non Gazetted State cadre	9300-34800	4200	Engineer-in-Chief	
2	Sub-Engineer (E&M)	103	...do...	9300-34800	4200	Engineer-in-Chief	
Class-III (Technical Other than Exectutive)							
1	Head Draftsman	1	...do...	9300-34800	4200	Engineer-in-Chief	
2	Draftsman (Civil)	70	...do...	9300-34800	4200	Engineer-in-Chief	
3	Draftsman (E&M)	05	...do...	9300-34800	4200	Engineer-in-Chief	
4	Assistant Draftsman (Civil)	226	District Cadre	5200-20200	2400	Engineer-in-Chief	
5	Assistant Draftsman (E&M)	02	District Cadre	5200-20200	2400	Engineer-in-Chief	
6	Tracer	50	...do...	5200-20200	1900	Engineer-in-Chief	
7	Research Assistant	06	...do...	9300-34800	4200	Engineer-in-Chief	
8	Lab Assistant	06	...do...	5200-20200	1900	Engineer-in-Chief	
9	Driver	13	...do...	5200-20200	1900	Engineer-in-Chief	
Class-III (Ministerial)							
1	Zonal Superintendent	07	Non Gazetted State cadre	9300-34800	4300	Engineer-in-Chief	
2	Circle Superintendent	15	...do...	9300-34800	4200	Engineer-in-Chief	
3	Senior Personal Assistant	01	...do...	9300-34800	4400	Engineer-in-Chief	

4	Personal Assistant	08	...do...	9300-34800	4200	Engineer-in-Chief	
5	Stenographer	21	District Cadre	5200-20200	2800	Engineer-in-Chief	
6	Steno Typist	58	...do...	5200-20200	1900	Engineer-in-Chief	
7	Assistant Grade – I	49	Non Gazetted State cadre	5200-20200	2800	Engineer-in-Chief	
8	Assistant Grade – II	385	...do...	5200-20200	2400	Engineer-in-Chief	
9	Assistant Grade – III	719	District Cadre	5200-20200	1900	Engineer-in-Chief	
10	Assistant Programmer	6	...do...	9300-34800	4300	Engineer-in-Chief	
11	Data Entry Operator	104	...do...	5200-20200	2400	Engineer-in-Chief	
Class-IV (Other than State Cadre)							
1	Jamadar	01	Non Gazetted Non State Wide cadre	4750-7440	1400	Engineer-in-Chief	
2	Daftari	27	...do...	4750-7440	1400	Engineer-in-Chief	
3	Lab Attendant	5	...do...	5200-20200	1800	Engineer-in-Chief	
4	Peon	713	...do...	4750-7440	1300	Engineer-in-Chief	
5	Watchman	12	...do...	4750-7440	1300	Engineer-in-Chief	
6	Record Keeper	01	...do...	4750-7440	1400	Engineer-in-Chief	
7	Waterman	6	...do...	4750-7440	1300	Engineer-in-Chief	
8	Sweeper	6	...do...	4750-7440	1300	Engineer-in-Chief	

SCHEDULE - II
(See rule 6)

S.No.	Name of the Posts	Total number of duty Posts	Percentage of the duty post to be filled in			Member of Selection Committee /Department promotion committee	Remarks
			By direct recruitment see rule 6 (1) (a)	By Promotion of substantive members of services see rule 6 (1) (b)	By Temporary transfer of persons from other Services see rule 6 (1) (c)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Class-III (Technical/Exectutive)							
1	Sub Engineer (Civil)	1047	95%	5%	-	1. Engineer-in-Chief or nominated by him **-Chairman** 2. Chief Engineer **– Member** 3. Two Superintending Engineer **- Member**	
2	Sub Engineer (E&M)	103	95%	5%	-	........do........	
Class-III (Technical Other than Exectutive)							
1	Head Draftsman	01	-	100%	-	1. Engineer-in-Chief or nominated by him **-Chairman** 2. Chief Engineer **– Member** 3. Two Superintending Engineer **- Member**	
2	Draftsman (Civil)	70	-	100%	-	...do...	
3	Draftsman (E&M)	05	-	100%	-	...do...	
4	Assistant Draftsman (Civil)	226	50%	50%	-	...do...	
5	Assistant Draftsman (E&M)	226	50%	50%	-	...do...	
6	Tracer	50	100%	-	-	...do...	
7	Research Assistant	06	100%	-	-	...do...	
8	Lab Assistant	06	100%	-	-	...do...	

9	Driver	13	100%	-	-	1. Engineer-in-Chief or nominated by him **-Chairman** 2. Chief Engineer – **Member** 3. Two Superintending Engineer **- Member**	Be filled by workcharged Driver
			Class-III (Ministerial)				
1	Zonal Superintendent	07	-	100%	-	1. Engineer-in-Chief or nominated by him **-Chairman** 2. Chief Engineer – **Member** 3. Two Superintending Engineer **- Member**	
2	Circle Superintendent	15	-	100%	-	...do...	
3	Senior Personal Assistant	1	-	100%	-	...do...	
4	Personal Assistant	8	-	100%	-	...do...	
5	Stenographer	21	50%	50%	-	...do...	
6	Steno Typist	58	100%	-	-	**For Engineer-in-Chief Office -** 1. Engineer-in-Chief or nominated by him-Chairman 2. Chief Engineer - Member 3. Two Superintending Engineer - Member **For Chief Engineer Office -** 1. Chief Engineer or nominated by him-Chairman 2. Two Superintending Engineer-Member 3 . Executive Engineer-Member **For Superintending Engineer Under his divisional Offices -** 1. Superintending Engineer - Chairman 2. Two Executive Engineer - Member 3. Assistant Engineer - Member	

7	Assistant Grade - I	49	-	100%	-	1. Engineer-in-Chief or nominated by him **-Chairman** 2. Chief Engineer **– Member** 3. Two Superintending Engineer **- Member**	
8	Assistant Grade - II	385	-	100%	-	...do...	
9	Assistant Grade - III	719	75%	25%	-	...do...	
10	Assistant Programmer	06	100%	-	-	...do...	
11	Data Entry Operator	104	100%	-	-	...do...	
Class-IV (Other than State Cadre)							
1	Jamadar	1	-	100%	-	1. Engineer-in-Chief or nominated by him **-Chairman** 2. Chief Engineer **– Member** 3. Two Superintending Engineer **- Member**	
2	Daftari	27	-	100%	-	...do...	
3	Lab Attendant	5	-	100%	-	...do...	Be filled by peon
4	Peon	713	100%	-	-	...do...	
5	Watchman	12	100%	-	-	...do...	
6	Record Keeper	1	-	100%	-	...do...	Be filled by peon
7	Waterman	6	100%	-	-	...do...	
8	Sweeper	6	100%	-	-	...do...	

SCHEDULE – III
(See rule 8)

S. No.	Name of Service/Posts	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Prescribed Educational Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sub Engineer (Civil)	20 Years	35 Years	(1) Passed minimum three years diploma in Civil, Electrical and Mechanical or equivalent Engineering from recognized Institution established by State Government. (2) 5% posts shall be reserved for Tracer/Assistant Draughtsman working on the lower post.	
2	Sub Engineer (E&M)	20 Years	35 Years	(1) Passed minimum three years diploma in Electrical and Mechanical or equivalent Engineering from recognized Institution established by State Government. (2) 5% posts shall be reserved for Tracer/Assistant Draughtsman working on the lower post.	
3	Assistant Draftsman (Civil)	18 Years	35 Years	Diploma in Architect **Or** Certificate in Civil/Electrical/Mechnical Engineering Draughtsmanship from Industrial Training Institute. **Or** Surveyor trade certificate Apprenticeship **Or** Certificate Industrial council of vocational training (3 years)	
4	Assistant Draftsman (E&M)	18 Years	35 Years	Diploma in Architect **Or** Certificate in Electrical/Mechnical Engineering Draughtsmanship from Industrial Training Institute. **Or** Surveyor trade certificate Apprenticeship **Or** Certificate Industrial council of vocational training (3 years)	

5	Tracer	...do...	...do...	Certificate of passed Higher Secondary Examination (10+2) or any equivalent examination with drawing as on subject or certificate of any other Board or Institution recognized in this behalf by State Government. **Or** Certificate of Higher Secondary (Technical) examination from Chhattisgarh Board or any other equivalent Board. **Or** Surveyor trade certificate Apprenticeship	
6	Research Assistant	...do...	...do...	B.Sc. degree with physics and chemistry in first division or M.Sc. degree with physics as one of the subject.	
7	Lab Assistant	...do...	...do...	Inter examination of science with physics and chemistry or B.Sc. (Part-1) with physics and chemistry.	
8	Driver	...do...	...do...	Passed 8th examination and Valid Driving licence of four wheeler vechile.	
9	Stenographer	...do...	...do...	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University. (2) From any recognized Board/Institute/Stenography (Shorthand) Typing Council :- (a) **For Stenographer (Hindi)-** Passed Hindi Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (b) **For Stenographer (English)**- Passed English Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).	

				(c) **For Bilingual Stenographer-** Passed Certificate Course of Hindi and English Stenography (Shorthand) as specified in clause (a) and (b) above and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (3) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of data entry 10,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken).	
10	Stenotypist	...do...	...do...	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University. (2) 60 words per minute Speed in Hindi Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (3) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of data entry 5,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken).	
11	Assistant Grade-III	...do...	...do...	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University. (2) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute. (3) In Hindi Computer Typing 5,000 (Key) depression speed per hour (efficiency test for speed shall be taken).	

12	Assistant Programmer	...do...	...do...	Diploma in computer science or Information Technology in first division with any recognized institution or equivalent Diploma with at least 2 years experience in computer programming from any recognized computer centre. **Or** Bachelor degree in Maths, Physics/Statistics with First Division alongwith 1 Year PGDCA and 1 year experience from any recognized computer centre.	
13	Data Entry Operator	...do...	...do...	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University, OR Passed 10^{th} Examination and three year diploma from any recognized institute. (2) One year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute and speed of data entry 8,000 (Key) depression per hour in Hindi and English (efficiency test for speed shall be taken).	
14	Lab Attendant	18 Years	35 Years	8^{th} Class Pass	
15	Peon	...do...	...do...	...do...	
16	Waterman	...do...	...do...	...do...	
17	Sweeper	...do...	...do...	...do...	
18	Watchman	...do...	...do...	...do...	

Note:- The upper age limit shall be relaxable for candidates who are bonafide resident of the State of Chhattisgarh, as per the instructions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.

SCHEDULE – IV

(See rule 14)

S. No.	Name of the post from which promotion is to be made	Minimum period required for Promotion	Name of the post to which promotion is to be made	Members of the Department Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Diploma holder/Degree holder Tracer/ Assistant Draftsman etc. working in lower post	05 Years	Sub Engineer	1. Engineer-in-Chief or nominated by him **-Chairman** 2. Chief Engineer **– Member** 3. Two Superintending Engineer **- Member**	
2	Draftsman	03 Years	Head Draftsman	1. Engineer-in-Chief or nominated by him **-Chairman** 2. Chief Engineer **– Member** 3. Two Superintending Engineer **- Member**	
3	Assistant Draftsman	05 years	Draftsman	…do…	
4	Tracer	07 Years	Assistant Draftsman	…do…	
5	Circle Superintendent	05 years	Zonal Superintendent	1. Engineer-in-Chief or nominated by him **-Chairman** 2. Chief Engineer **– Member** 3. Two Superintending Engineer **- Member**	Compulsory to be passed in department superior clerkship Examination for Promotion in these category
6	Assistant Grade-I	05 years	Circle Superintendent	…do…	…do…
7	Assistant Grade-II	05 years	Assistant Grade-I	…do…	…do…
8	Assistant Grade-III	05 Years	Assistant Grade-II	…do…	

9	Personal Assistant	05 years	Senior Personal Assistant	1. Engineer-in-Chief or nominated by him **-Chairman** 2. Chief Engineer **– Member** 3. Two Superintending Engineer **- Member**	
10	Stenographer	05 years	Personal Assistant	...do...	
11	Steno Typist	05 Years	Stenographer	...do...	
12	Peon/Jamadar/ Daftari/Record Keeper/Lab Attendant	5 year and Paased Higher Secondary Certificate Examination (10+2) from recognized Board.	Assistant Grade-III	1. Engineer-in-Chief or nominated by him **-Chairman** 2. Chief Engineer **– Member** 3. Two Superintending Engineer **- Member**	
13	Peon	5 Year and Passed 8^{th} Class	Jamadar/Daftari Record Keeper/ Lab Attendant	...do...	

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 30 जनवरी 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	तिलाईमुड़ा प.ह.नं. 36	8.172	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बैराज निर्माण संभाग क्रमांक 1, खरसिया जिला-रायगढ़.	साराडीह बैराज निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 जनवरी 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	बरमकेला	मानिकपुर प.ह.नं. 01	10.609	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कलमा बैराज निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 जनवरी 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	बरमकेला	विश्वासपुर प.ह.नं. 01	29.597	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कलमा बैराज निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 जनवरी 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	बरमकेला	बरगांव प.ह.नं. 01	9.169	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कलमा बैराज निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 20 जनवरी 2017

क्रमांक 60/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-खरगहना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.228 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	865/1	0.117
	873/2	0.138
	870	0.105
	871/1	0.073
	886/1, 887/1	0.036
	894/4	0.121
	886/2, 887/2	0.036
	886/4, 887/4	0.036
	884	0.126
	885	0.085
	878/2	0.121
	886/5, 887/5	0.036
	886/6, 887/6	0.036
	894/3, 894/2	0.162
योग	20	1.228

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लारीपारा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 21 जनवरी 2017

क्रमांक 18/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-छेरकाबांधा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.034 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
4	0.251
5/1	0.162
6	0.202
7	0.032
23/6	0.113
23/7	0.061
16	0.077
19/1	0.125
20	0.073
21	0.137
23/1	0.174
23/2	0.036
26	0.105
27/1	0.085
32/2 क	0.162
31	0.057
390/2ख, 391/2	0.182
643	0.049
587/3	0.036
390/2क	0.020
390/3	0.121
78	0.117
79/3	0.093
77/2	0.133
81/3	0.085

(1)	(2)
395/2	0.133
69/2	0.020
67	0.081
66/1, 66/2	0.101
64/1	0.130
65/1घ	0.069
80	0.081
79/2	0.097
378/1 ख	0.186
378/1 क	0.093
532	0.198
533	0.032
529/4	0.089
513/15	0.097
530	0.275
567/2	0.061
523/1	0.049
513/16	0.077
520	0.117
511	0.073
519/1	0.012
538/3	0.057
538/8	0.069
538/11	0.085
538/4	0.012
513/8	0.044
495/8	0.121
513/5	0.093
506/1	0.040
550/7	0.093
506/4	0.028
557/2क	0.089
499	0.125
639/4	0.049
639/5	0.004
565	0.049
496/1	0.081
559, 558	0.158
563/1	0.061
495/9	0.049
550/1	0.053
550/17	0.036
553/3	0.024
550/8	0.032
556/2	0.004
495/10	0.053
567/3	0.040
550/2	0.093
550/9	0.008
550/12	0.040
550/3	0.024
564/1	0.040
557/2ख	0.073
567/4	0.049
588	0.146
640	0.045
644	0.045
647	0.081
613/2	0.020
612	0.040
610/2	0.040
639/6	0.036
645	0.016
717	0.186
716	0.170
814	0.138
824/2	0.109
826	0.121
828	0.125
827	0.004
829/1	0.045
829/2	0.045
829/3	0.101
553/2	0.004
513/10	0.032
552	0.069
378/2	0.130
550/6	0.008
505/2	0.081
32/2 ख	0.097
32/2 च	0.113
387/2	0.069
387/1	0.028
65/2	0.134
495/7	0.121
योग 113	9.034

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लारीपारा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 21 जनवरी 2017

क्रमांक 19/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-उमरमरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.550 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	650/3	0.121
	652	0.247
	654	0.202
	655	0.073
	656/1	0.384
	656/3	0.073
	656/2	0.255
	656/4	0.121
	658	0.502
	678/6	0.085
	662/1	0.291
	666/1 ख,,666/2 ख	0.356
	670/2	0.040
	662/3	0.008
	667	0.024
	672/1	0.032
	671/1	0.186
	701/1	0.486
	653/1	0.032
	653/2	0.032
योग	21	3.550

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लारीपारा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 21 जनवरी 2017

क्रमांक 55/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-बिल्लीबंद
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.445 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	448/1	0.121
	744/1	0.324
योग	2	0.445

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सल्का व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 21 जनवरी 2017

क्रमांक 56/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-उमरमरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.668 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	29/1	0.227
	29/2	0.263
	30/1	0.121
	30/2	0.028
	30/3	0.028
	31	0.124
	32	0.198
	648/10	0.101
	605/2	0.648
	648/11	0.243
	164	0.121
	169	0.101
	608/1	0.364
	167	0.101
योग	14	2.668

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लारीपारा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 21 जनवरी 2017

क्रमांक 61/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-खरगहनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.031 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	726/3 ग	0.061
	732/3	0.016
	732/2	0.073
	726/3 ख	0.016
	724/40	0.056
	724/7	0.056
	724/9	0.061
	724/6 ख	0.061
	724/35	0.101
	724/41	0.061
	724/11	0.048
	724/13	0.061
	724/15	0.081
	725/1	0.162
	730/1	0.040
	724/10	0.077
योग	16	1.031

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लारीपारा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 21 जनवरी 2017

क्रमांक 62/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-बिलासपुर
 (ख) तहसील-कोटा
 (ग) नगर/ग्राम-अमाली
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.596 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1676/1	0.032
1674	0.166
1684/7	0.101
1684/8	0.138
1684/5	0.125
1684/4	0.077
1636/1	0.004
1636/2	0.028
1635/1	0.028
1634	0.105
1629	0.045
1631	0.117
1632/1	0.061
1632/3	0.101
1692	0.125
1694/3	0.085
1695	0.194
1701	0.020
1826	0.032
820/1	0.012
योग 20	1.596

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सल्का व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2017

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/6732.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2012-13/22-23 रायपुर दिनांक 02-04-2012 द्वारा श्री डी. एस. कुंजाम अनुविभागीय अधिकारी (रा.) केशकाल को कृषि उपज मंडी समिति केशकाल जिला-कोण्डागांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला कोण्डागांव का ज्ञापन क्रमांक 929/खाद्य./धान./2016 कोण्डागांव दिनांक 22-12-2016 द्वारा श्री सूरज कुमार साहू अनुविभागीय अधिकारी (रा.) केशकाल को कृषि उपज मंडी समिति केशकाल जिला-कोण्डागांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री डी. एस. कुंजाम अनुविभागीय अधिकारी (रा.) की पदस्थापना अन्यत्र हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री सूरज कुमार साहू अनुविभागीय अधिकारी (रा.) केशकाल को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति केशकाल जिला-कोण्डागांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2017

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/6734.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2010-11/7574-7575 रायपुर दिनांक 17-02-2011 द्वारा श्री जी. डी. तिवारी, अनुविभागीय कृषि अधिकारी राजनांदगांव जिला-राजनांदगांव को कृषि उपज मंडी समिति डोंगरगांव जिला-राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कार्यालय कलेक्टर जिला राजनांदागंव का ज्ञापन क्रमांक 463/ज्ये.लि.-1/2017 राजनांदगांव दिनांक 13-01-2017 द्वारा श्री अविनाश भोई अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगांव को कृषि उपज मंडी समिति डोंगरगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री जी. डी. तिवारी, अनुविभागीय कृषि अधिकारी राजनांदगांव जिला-राजनांदगांव का अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री अविनाश भोई अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगांव को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति डोंगरगांव जिला-राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

नरेन्द्र कुमार शुक्ल,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

जगदलपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2016

क्रमांक/1954/सुकमा व.भू./नग्रानि/2016.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अनुसरण में सुकमा निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 1380/सुकमा व.भू./नग्रानि/2016 जगदलपुर, दिनांक 03-09-2016 द्वारा किया गया था.

अब एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन सुकमा निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों का वर्तमान भूमि उपयोग एवं रजिस्टरों को तदानुसार सम्यक् रूप से दिनांक 13-12-2016 को अंगीकृत किया जाता है, तथा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसार में इस सूचना को छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का साक्ष्य होगा, कि उक्त मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार एवं अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

सुकमा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम सुकमा ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम शबरी नदी की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम सुकमा ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम सुकमा ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक अवलोकन हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय नगर पालिका भवन सुकमा.

No./1954/Sukma. E.L./T&CP/2016.—The existing land use map and register for the Sukma Planning Area was published under sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) vide notice No. 1380/Sukma. E.L.U./2016 Jagdalpur, dated 03-09-2016.

Therefore a notice is here by given for the general information of the public that existing land use map and register of Sukma Planning Area prepared and published are duly adopted under the provision of sub section (3) of the section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its publication in Chhattisgarh Gazette under the provision of sub section (4) of section 15 of the said Adhiniyam which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps and registers has been duly prepared and adopted on dated 13-12-2016.

SCHEDULE

Limits of Sukma Planning Area

NORTH	:	Village Sukma upto the northern limit.
EAST	:	Village River Sabri upto the eastern limit.
SOUTH	:	Village Sukma upto the southern limit.
WEST	:	Village Sukma upto the western limit.

The said adopted maps and register shall be available for inspection for general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

Place of Inspection : Nagar Palika Bhavan Sukma.

डी. के. बघेल,
प्र. उप संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 3rd February 2017

No. 04/Comp./2017.—WHEREAS a Departmental Enquiry is contemplated against Shri Mahadev Katulkar, Judge, Family Court, Dhamtari for his grave misconduct.

AND WHEREAS serious nature of act of misconduct warrants his suspension from service.

Now pursuant to powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub-rule (1) of Rule 9 of the Chhattisgarh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, the High Court hereby places Shri Mahadev katulkar, Judge, Family Court, Dhamtari under suspension with immediate effect in contemplation of the Departmental Enquiry. During period of suspension or until further orders the Head Quarter of Shri Mahadev Katulkar shall be at Raipur. The subsistence allowance shall be paid to him as per rules.

By order of the High Court,
DEEPAK KUMAR TIWARI, Registrar (I & E).